भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5728

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

एसपीआईसीई

5728. श्री शिवकुमार उदासिः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या व्यापार और उद्योग के क्षेत्र ने सिमप्लीफाइड प्रोफार्मा फार इनकॉरपोर्टिंग कंपनी इलेक्ट्रोनिकली (स्पाइस) प्रविधि स्वागत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है;
(ख) इस डिजिटल प्रोफॉर्मा में आवेदक की प्रामाणिकता के साथ-साथ उत्पाद, सेवाओं तथा इसके विधिक तथा विनियामक ढांचों का पता लगाने के लिए अंतर्विष्ट ऐहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारतीय राजनयिक मिशनों में व्यापार आयुक्तालयों तथा वाणिज्यिक अताशे को संभावित निवेशकों तथा विदेशों से सहयोग के साथ एसपीआईसीई के निष्पादन के लिए प्रशिक्षित किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अक्तूबर, 2016 में ई-प्ररूप आईएनसी-32-स्पाइस (कंपनी का इलेक्ट्रोनिक रूप से निगमन करने के लिए सरलीकृत प्ररूप) शुरू किया। तब से इस मंत्रालय को स्पाइस के संबंध में पक्षकारों और व्यावसायिक मंडलों से सकारात्मक प्रत्युत्तर मिले हैं। स्पाइस के संबद्ध प्ररूपों के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में स्याही से किए जाने वाले हस्ताक्षरों को अंकीय हस्ताक्षरों से प्रतिस्थापित किया गया है। ई-प्ररूप में दी गई सूचना की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिसरत अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार/कंपनी सचिव जैसे व्यावसायिक से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जाता है जो यह प्रमाणित करता है कि संलग्नकों सहित प्ररूप में उल्लिखित विवरण का सत्यापन आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल/प्रमाणित रिकार्डों से किया गया है और उन्हें सत्य, सही और पूरा पाया गया है। इसके बाद व्यावसायिक अंकीय हस्ताक्षर करके ई-प्ररूप को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त संगम अनुच्छेद में कंपनी के निदेशक/प्रबंधक/सचिव के रूप में नामित व्यक्ति को यह पुष्टि करते हुए एक घोषणा पत्र भी देना होता है कि कंपनी अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। इस संबंध में कोई मिथ्या कथन देना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन दंडनीय है। पक्षकारों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए स्पाइस से संबंधित विस्तृत निर्देश किट और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

*****